31

## दिल्ली जल बोर्ड
## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 26 अप्रैल, 2000 को प्रातः 11.30 बजे दिल्ली जल बोर्ड के सभाकक्ष वरूणालय फेज–2, करोल बाग, नई दिल्ली–110 005 में हुई 31वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

### उपस्थित

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री, दिल्ली | अध्यक्ष |
| 2. | श्री सुरेन्द्र कुमार, सदस्य, दिल्ली विधान सभा | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री प्रदीप मेहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी | सदस्य |
| 4. | श्री प्रहलाद सिंह साहनी, सदस्य, दिल्ली विधान सभा | सदस्य |
| 5. | श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली नगर निगम | सदस्य |
| 6. | श्री छन्नू मल, सदस्य, दिल्ली छावनी बोर्ड | सदस्य |
| 7. | श्री अरविन्द रे, सदस्य (प्रशासन) | सदस्य |

**बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :–**

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 27 मार्च, 2000 को सम्पन्न हुई 30वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई । शक्तियों का प्रत्यावर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव में एक पंक्ति जोड़ने का संकल्प किया गया । इसके अन्तर्गत उक्त निर्णय को दिनांक 1.4.2000 से लागू किया गाए ।

**पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाई का विवरण:–**

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 23 फरवरी, 2000 को सम्पन्न हुई 29वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाई का विवरण बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया गया । बोर्ड ने इसे रिकार्ड में ले लिया ।

**संकल्प संख्या 571**

**मद संख्या 458** गोपनीय

अलग से परिपत्रित ।

**संकल्प संख्या 572**

**मद संख्या 507** गोपनीय

अलग से परिपत्रित ।

**संकल्प संख्या 573**

**मद संख्या508** गोपनीय

अलग से परिपत्रित ।

**संकल्प संख्या 574**

**मद संख्या 551** दिल्ली जल बोर्ड में मुख्य विधि अधिकारी के एक पद को रू0 14,300 – 18,300 के वेतनमान में सृजित करना तथा इस पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति करना।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी–23 दिनांक 18.2.2000 के पत्र में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड की 29वीं और 30वीं बैठक में बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार को स्थगित रखा गया था । बोर्ड ने संकल्प लिया कि निम्नलिखित पदों को सृजित किया जाता है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मुख्य विधि अधिकारी | 1 |
| 2. | वरिष्ठ आशुलिपिक | 1 |
| 3. | प्रवर लिपिक | 1 |
| 4. | अवर लिपिक | 1 |

मुख्य विधि अधिकारी के पद पर नियुक्ति दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों के मध्य से प्रतिनियुक्ति पर किए जाने की स्वीकृति बोर्ड द्वारा प्रदान की गई ।

**संकल्प संख्या 575**

**मद संख्या 580** दिल्ली जल बोर्ड में कार्यालय अधिक्षकों, वरिष्ठ आशुलिपिकों, हिन्दी सहायकों/अनुवादकों के वेतनमानों में संशोधन ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी–32 दिनांक 19.4.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि कार्यालय अधीक्षक, वरिष्ठ आशुलिपिक, हिन्दी सहायक/अनुवादक के वेतनमान को दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवाओं के ग्रेड–1 के पदों के अनुसार संशोधित किया जाता है। दिल्ली जल बोर्ड के विधि अधिक्षकों का वेतनमान भी उनके व्यैक्तिक वेतनमान के रूप में संशोधित किया जाए ।

**संकल्प संख्या 576**

**मद संख्या 581** आदर्श नगर कालोनी समूह के लिए बरसाती पानी निकासी प्रक्रिया के निर्माण हेतु संशोधित योजना की स्वीकृति ।

मुख्य अभियंता(सी)–2 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी–12 दिनांक 31.3.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि आदर्श नगर कालोनी समूह के लिए बरसाती पानी की निकासी के लिए रू0 859.00 लाख की संशोधित योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

**संकल्प संख्या 577**

**मद संख्या 582** उप–निदेशक (राजस्व)/सहायक आयुक्त/अध्यक्ष के सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सचिव के पद पर तदर्थ पदोन्नति को जारी रखना ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी–33 दिनांक 19.4.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सहायक आयुक्त/उप निदेशक राजस्व/अध्यक्ष महोदय के सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सचिव के पद पर रू0 10,000–15,200 के वेतनमान + नियमानुसार देय सामान्य भत्तों में तदर्थ आधार पर पदोन्नत 11 अधिकारियों की नियुक्ति को दिनांक 31.3.2001 अथवा इन पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति किए जाने तक, जो भी पहले लागू हो, जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

**संकल्प संख्या 578**

**मद संख्या 583** दिल्ली जल बोर्ड में चिकित्सक (जी.डी.ओ.) ग्रेड–2 के पद पर डा0 कल्पना चन्द्रा, डॉ0 प्रभंजन सिंह और डॉ0 संजीव अरोड़ा की नियुक्ति ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–34 दिनांक 19.4.2000 में वर्णित डा0 कल्पना चन्द्रा, डॉ0 प्रभंजन सिंह और डॉ0 संजीव अरोड़ा की दिल्ली जल बोर्ड में चिकित्सक (जी.डी.ओ.) ग्रेड–2 के पद पर रू0 8000–275–13500 के वेतनमान + सामान्य भत्ते + एन.पी.ए. + एम.सी.ए. में नियुक्त करने, जो कि उनके पिछले जीवनवृन्त की जांच की शर्त पर है, के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया बोर्ड ने संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

**संकल्प संख्या 579**

**मद संख्या 584** दिल्ली जल बोर्ड में रू0 12000–16500 के वेतनमान में अधीक्षण अभियंता (वि.एवं या.) के पद पर तदर्थ पदोन्नति को स्वीकृति प्रदान करना ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी–35 दिनांक 20.4.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने चर्चा की तथा संकल्प लिया कि श्री वी.के. सब्बरवाल जो कि वरिष्ठतम अधिकारी हैं तथा अधिक्षण अभियंता (वि.एवं या.) के पद पर "करन्ट ड्यूटी चार्ज" आधार पर कार्यरत है को अधिक्षण अभियंता (वि.एवं या.) के पद पर रू0 12000–16500 के वेतनमान + सामान्य भत्ते में प्रथम अवसर पर एक वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति किए जाने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले लागू हो, तदर्थ आधार पर पदोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 580

मद संख्या 585 अधीक्षण अभियंता (निर्माण)मल–5 द्वारा माह दिसम्बर–99 में किए गए कार्य/सप्लाई सूची रू0 1.00 लाख से रू0 25.00 लाख की लागत तक ।

मुख्य अभियंता (सी)–4 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–15 दिनांक 10.4.2000 में वर्णित अनुबन्धों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उक्त अनुसूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 581

मद संख्या 586 जल एवं मल निकास प्रणाली के विकास प्रभार की दर में संशोधन एवं नीति परिवर्तन ।

निदेशक (राजस्व)के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी–11 दिनांक 19.4.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि ऐसी कालोनियां जिन्हें विकास प्रभार जमा कराने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिनांक 4.2.2000 से पहले लिखित में कहा गया था, को इन विकास प्रभार की राशियों को पूर्व संशोधित दरों पर दिनांक 31.5.2000 तक जमा कराने का अवसर प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है । यदि कालोनी के निवासियों द्वारा विकास प्रभार की सामूहिक प्रथम अग्रिम किश्त का 75% अथवा अधिक राशि का पूर्व संशोधित दरों पर दिनांक 31.5.2000 तक अथवा उससे पहले भुगतान किए जाने की दशा में उक्त कालोनी के लिए संशोधित दरें लागू नहीं होंगी ।

बोर्ड ने आगे यह भी संकल्प लिया कि सीवर लाइन बिछाने के मामले में ऐसी कालोनियां जिनके निवासियों द्वारा विकास प्रभार की पहली किश्त की 75% अथवा अधिक राशि दिनांक 31.5.2000 तक अथवा उससे पहले जमा करायी जाएगी के अलावा अन्य कालोनियों के निवासियों द्वारा विकास प्रभार का भुगतान सेवाओं के चालू किए जाने की अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि को लागू दरों पर किया जाएगा तथा निवासियों से उससे पहले विकास प्रभार की अग्रिम किश्त वसूल नहीं की जाएगी ।

कोई अग्रिम राशि, यदि पुरानी योजना के अन्तर्गत जमा करायी गई हो तो उक्त राशि को संबन्धित निवासी द्वारा देय राशि के विरूद्ध नई प्रणाली के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा । अधिसूचना जारी किए जाने के 3 महीनों के अन्दर प्रभारों का एकमुश्त भुगतान करने पर 20% की छूट दी जाएगी अन्यथा प्रभारों की वसूली 20 समान तीमाही किश्तों में की जाएगी । अन्य शर्तें भी वही रहेगी जो बोर्ड द्वारा संकल्प संख्या 481 दिनांक 6.12.1999 के अनुसार स्वीकृत की गई है ।

संकल्प संख्या 582

मद संख्या 587 सार्वजनिक नल और टैंकरों द्वारा जल आपूर्ति के बिलों की दरों की परिधि का विस्तार ।

निदेशक (राजस्व) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी–12 दिनांक 21.4.2000 में वर्णित सार्वजनिक नलकों तथा टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति के लिए बिल जारी करने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि सिद्वान्त रूप से यह एक ठोस प्रस्ताव है परन्तु इसे और विस्तृत विवरण के साथ तैयार करके बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ।

संकल्प संख्या 583

मद संख्या 588 दिल्ली जल बोर्ड के अन्तर्गत योजना विभाग का पुर्नगठन एवं पुनः संरचना ।

मुख्य अभियंता (सी)–6 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी–1 दिनांक 24.4.2000 में वर्णित दिल्ली जल बोर्ड के अन्तर्गत योजना विभाग के पुर्नगठन और सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि इस प्रस्ताव पर तथा नीतिगत मामलों से सम्बन्धित अन्य विषयों पर दिल्ली जल बोर्ड की एक विशेष बैठक में एक विशेष कार्यसूची प्रस्तुत की जाए ।

**संकल्प संख्या 584**

**मद संख्या 589** सीलमपुर फेज एक और दो (पुर्नवास कालोनी) में आंतरिक सीवर प्रणाली की व्यवस्था एवं बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सी)–5 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी–4 दिनांक 24.4.2000 में वर्णित प्रस्ता पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सीलमपुर फेज एक और दो (पुर्नवास कालोनी) में आन्तरि सीवर प्रणाली की व्यवस्था एवं बिछाने के कार्य के लिए रू0 2,68,48,477/– के अनुमान को प्रशासनि स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

**संकल्प संख्या 585**

**मद संख्या 590** ब्रह्मपुरी शाहदरा में आन्तरिक सीवर की व्यवस्था करना और बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सी)–5 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी–5 दिनांक 24.4.2000 में वर्णित प्रस्ता पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि ब्रह्म पुरी, शाहदरा में आन्तरिक सीवर की व्यवस्था के कार्य के लिए रू0 1,66,63,314/– के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

**संकल्प संख्या 586**

**मद संख्या 591** शाहदरा में घोंडा चौंक के पास 27–10 एम.जी.डी. घोंडा–2 सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्मा के लिए पुनः संशोधित अनुमान ।

मुख्य अभियंता (सी)–5 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी–6 दिनांक 24.4.2000 में वर्णित प्रस्ता पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि शाहदरा में घौंड़ा चौंक के समीप घौंड़ा दो पर 27.10 मि.गै. दैनिक क्षमता के अवजल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण मै0 चौधरी चतर सिंह सैनी एण्ड कं0 के माध्यम से करा हेतु रू0 2,69,63,419.60 के संशोधित अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

**संकल्प संख्या 587**

**मद संख्या 592** 1600–1900 मि.मी. व्यास के ईटों द्वारा निर्मित ट्रंक सीवर लाईन का दिल्ली गेट से कॉलेज लेन तक (दिल्ली नगर निगम सीमा) लाइन का नवीनीकरण/पुनरूद्धार ।

मुख्य अभियंता(सी)–2 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी–13 दिनांक 24.4.2000 में वर्णित दिल्ली गेट से कॉलेज लेन (दिल्ली नगर निगम सीमा) तक ईटों की चिनाई युक्त 1600–1900 मि.मी. व्यास के ट्रंक सीवर के पुर्ननिर्माण/पुर्नस्थापना के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि उक्त कार्य के लिए रू0 7,70,38,614/– के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड ने निर्देश दिया कि इस कार्य को निर्धारित समय सीमा के अनुसार तथा तत्परता से किया जाए ।

**संकल्प संख्या 588**

**मद संख्या 593** आदर्श नगर समूह कालोनियों से बरसाती पानी की निकासी के लिए नाला भाग 2–ए का निर्माण करना ।

मुख्य अभियंता (सी)–2 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी–14 दिनांक 24.4.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि आदर्श नगर कालोनी समूह भाग–2–ए के लिए बरसाती पानी निकासी व्यवस्था का निमार्ण कार्य मै0 वी.के. दीवान एण्ड कम्पनी को समरूप दरों पर 15% छूट सहित रू0 2,31,71,691.90 की कुल राशि पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

**संकल्प संख्या 589**

**मद संख्या 594** नवादा गांव (पशिचमी क्षेत्र) में आन्तरिक सीवर का सम्भरण एवं बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सी)–2 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी–15 दिनांक 24.4.2000 में वर्णित पशिचमी क्षेत्र के नवादा गांव में आन्तरिक सीवर की व्यवस्था व बिछाने के कार्य के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि इस कार्य के लिए रू0 108.85 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड का मत था कि इस कार्य को नांगलोई जल उपचार संयंत्र के चालू होने पर पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता की शर्त पर निष्पादित कराया जाए ।

संकल्प संख्या 590

**मद संख्या 595** आदर्श नगर के समीप जी.टी.के. रोड़ पर महेन्द्रा पार्क एवं संजय नगर में आन्तरिक सीवर लाईन का प्रावधान करना एवं बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सी)–2 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी–16 दिनांक 24.4.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि जी.टी.के. रोड़ स्थित महेन्द्रा पार्क और संजय नगर कालोनियों में आन्तरिक सीवर की व्यवस्था के कार्य के लिए रू0 76.71 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 591

**मद संख्या 596** आर.यू.बी. – 12 जखीरा के सम्प वैल व पम्प हाऊस का निर्माण ।

मुख्य अभियंता (सी)–2 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी–17 दिनांक 24.4.2000 में वर्णित आर.यू.बी.–12 जखीरा में सम्प वैल तथा पम्प हाऊस का कार्य दिल्ली नगर निगम द्वारा जमा की गई राशि के आधार पर कराये जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि इस कार्य के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा समय–समय पर जमा करायी राशियों सहित इस कार्य को दिल्ली नगर निगम को वापिस सौंपे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 592

**मद संख्या 597** बलबीर नगर तथा बलबीर नगर विस्तार के (भाग) शाहदरा में आन्तरिक सीवर की व्यवस्था और बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सी)–5 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी–7 दिनांक 24.4.2000 में वर्णित शाहदरा क्षेत्र के बलबीर नगर और बलबीर नगर विस्तार के भाग में आन्तरिक सीवर लाइन की व्यवस्था और बिछाने के कार्य के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि उक्त कार्य के लिए रू0 167.91 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

**अध्यक्ष महोदया की अनुमति से चर्चा :–**

1. श्री प्रहलाद सिंह साहनी, सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड का मत था कि जिन क्षेत्रों में सीवर कर्मचारियों की आवश्यकता है वहां पर ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति मस्टर रोल आधार पर की जाए । मुख्य कार्यकारी ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड की विन्तीय विवशताओं के कारण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना उचित नही होगा ।

2. पुर्नवास कालोनियों में सीवर और पेयजल की स्थिति पर बोर्ड के सदस्यों ने विचार किया तथा सदस्यों का मत था कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कनैक्शन दिए जाने की प्रक्रिया पर शीघ्रता से कार्यवाई करने हेतु प्रयास किये जाए ।

अ शरविन्द रे

शीला दीक्षित

**सचिव** **अध्यक्ष**

CONFIDENTIAL

RESOLUTION NO. 571

ITEM NO. 458 Disciplinary proceedings against S/Shri Y.P.ManchandaEx. Engineer(Civil), R.K.Singh, A.E.(C) and Hari Chand JE(civil) of Delhi Jal Board.

The Board considered initiation of major penalty proceedings against S/Shri Y.P.Manchanda, E.E., R.K. Singh, A.E.(C) and Hari Chand J.E.(Civil) as proposed by Addl. C.E.O. in his letter No. DJB/Vig./LS-I/4343 dated 19.11.99. The Board had earlier deferred consideration of the case at its 27th, 28th, 29th and 30th meetings. After detailed discussion, it was resolved to approve the proposal. It further resolved that in the interest of free and fair enquiry a request would be made to the Central Vigilance Commission to appoint a C.D.I. to conduct the inquiry, rather than appointing a departmental officeras the I.O.

RESOLUTION NO. 572

ITEM NO. 507 Disciplinary proceedings against S/Shri Udham Dadwani the then E.E.(Retired Asstt. Engineer), Gopi Chand, D'Man Grade-I, Krishan Mohan, Head Clerk and Nehpal Singh, L.D.C.

The Board considered conveying the Govt's displeasure to Shri Udham Dadwani, former E.E., dropping the charges against Shri Gopi Chand, D'Man Grade-I, disagreeing with the findings of the Inquiry Officer to the disciplinary proceedings against S/Shri Krishan Mohan, Head Clerk and Nehpal Singh, L.D.C. and furnishing a copy of the Inquiry Report together with brief reasons of disagreement to the C.Os for their comments, as proposed by Addl. C.E.O. in his letter No. DJB/Admn./99/AO(Vig)/1 dated 9.12.99. It had deferred consideration of the case at its 28th, 29th and 30th meetings. It resolved to approve the same and necessary proceedings required to that effect.

RESOLUTION NO. 573

ITEM NO. 508 Disciplinary proceedings against S/Shri B K Goel, Chief Engineer, Moti Lal, S.E. and R.K. Chalia, E.E. on account of delay in filing the reply of Writ Petition No . 5151 od 1998.

The Board considered initiation of major penalty proceedings against Shri R.K. Chalia, E.E.(C)Dr.X and minor penalty proceedings against S/Shri B K Goel, C.E.(C)IV and Moti Lal S.E.(C)Dr.III as proposed by the Addl. C.E.O. in his letter

No. DJB/Vig./LS-I/3 dated 20.1.2000. Consideration of the case had been earlier deferred at its 28th, 29th and 30th meetings. The Board resolved to issue a recordable "WARNING" to Shri B K Goel, C.E.(C)IV and Shri Moti Lal, S.E.(C)Dr.III and approved initiation of major penalty proceedings against Shri R.K. Chalia, E.E.(C)Dr-X.

SECRETARY. CHAIRPERSON.